...हरिस्त दस्तावेज की जो मद्दालेह ने दाखिल किया

...र्डर 13 कायदा 1 एक्ट सन् 1918 .... दिनांक ....

दीवानी मुकदमा ....

न्यायालय श्रीमान् ....उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव....

यह फेहरिस्त ......आवेदक (सागर जैन)...................... ने दिनांक 29/1/2026

को दाखिल किया।

सिलसिलेवार नंबर	तफसील दस्तावेज	दिनांक दस्तावेज	असल या नकल	कैफियत	दस्तखत फरीकेन या वकील की बाबत दस्तावेज के जो मंजूर हुए और दिनांक
1.	विद्युत मंडल द्वारा प्रदत्त विद्युत देयक	05/3/2020 से 13/1/2025	फोटो प्रति स्वप्रमाणित		
2.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र (प्रथम)	13/8/20	—,,—		
3.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र (द्वितीय)	13/1/21	—,,—	वजह सबूत	वजह सबूत
4.	आवेदक द्वारा मीटर बदलने हेतु प्रस्तुत पत्र	13/1/21	—,,—		
5	आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत/मीटर बदलने हेतु प्रस्तुत आवेदन	04/6/21	—,,—		
6.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत RTI आवेदन की प्रति	29/11/24	—,,—		
7	आवेदक द्वारा प्रस्तुत विद्युत कनेक्शन काटने	24/12/24	—,,—		
8	आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन	31/1/25	—,,—		
9	विभाग द्वारा राशि समायोजन हेतु प्रेषित पत्र	24/2/25	—,,—		
10	आवेदक द्वारा प्रेषित जवाब	24/3/25	—,,—		
11.	R-जी.(रजि.) रसीद	24/3/25	—,,—		
12	अनावेदक द्वारा उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत केस	9/2018 से 6/2025	—,,—		
13	अनावेदक गण द्वारा ... बिल	14/10/25	—,,—		

C.G./885/99 ADVOCATE 22.2.1999 ... Rajnandgaon (C.G.)

Sagar Jain

RUPESH DUBEY
Advocate
C.G./885/Adv/1999
आवेदक/अधि.
Mob. ...
Email-rupesh.dby...

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.) 491441

क्रमांक 13-01/वि.उ.शि.नि.फो.राजनांदगांव / 24 राजनांदगॉव दिनॉक : 04 /02/2026

मेसर्स आर वर्ल्ड सप्लायर
प्रो.सागर जैन आ.श्री ललित जैन, उम्र 30 वर्ष
निवासी -वार्ड नं. 19, वर्धमान नगर राजनांदगाव,
तह.व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)।

विरूद्ध

01 कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग
छ.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.लिमि. राजनांदगांव

02 सहायक अभियंता (उपसंभाग)
छ.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.लिमि., सोमनी,

प्रति,

01 कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग
छ.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.लिमि. राजनांदगांव

02 सहायक अभियंता (उपसंभाग)
छ.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.लिमि., सोमनी,

03 मेसर्स आर वर्ल्ड सप्लायर
प्रो.सागर जैन आ.श्री ललित जैन,
निवासी -वार्ड नं. 19, वर्धमान नगर
राजनांदगाव,तह.व जिला-राजनांदगांव
(छ.ग.)

26

सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42 (5) विद्युत अधिनियम 2003

प्रकरण मेसर्स आर वर्ल्ड सप्लायर प्रो.सागर जैन आ.श्री ललित जैन, उम्र 30 वर्ष निवासी -वार्ड नं. 19, वर्धमान नगर राजनांदगाव,तह.व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा सुरक्षा निधि की राशि में से 75,504.75 रूपये अवैध समायोजन को सुरक्षा निधि में वापसी हेतु आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 30.01.2026 को प्राप्त हुआ है। फोरम द्वारा आवेदक के आवेदन को स्वीकर करते हुए प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही दिनांक 18.02.2026 को दोपहर 12 : 00 बजे निर्धारित की गई है। अतः निर्धारित समय एवं दिनांक को आवेदक एवं अनावेदक दोनों पक्ष फोरम कार्यालय राजनांदगांव में आवश्यक दस्तावेजों/ जवाबदावा के साथ सुनवाई में उपस्थित होवे। अन्यथा विवाद का निपटारा एक पक्षीय रूप में करने के लिए फोरम द्वारा कार्यवाही की जावेगी

फोरम की सील से आज दिनांक 02.02.2026 को जारी किया गया।

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

(छ0रा0वि0मं0 की एक उत्तरदायी कम्पनी)(छ0ग0 शासन का एक उपकम)

कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, वितरण केन्द्र–सोमनी ,राजनांदगांव

क्रमांक / कनि.अभि. / राज. / 605

सोमनी, दिनांक 24/02/2025

प्रति,

मे. आर. वर्ल्ड सप्लायर बी.पी. नं. 1006710501
प्रो. श्री सागर जैन मो. नं. 9827169017
ग्राम परमालकसा जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय–सुरक्षा निधि समायोजन बाबत्।

विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय के अंतर्गत आपके औद्योगिक विद्युत कनेक्शन कनेक्शन में आज दिनांक कि स्थिति में 75504.57 रू. बकाया राशि विद्यमान है। आपके विद्युत देयक भुगतान की जांच करने पर यह पाया गया कि आपके द्वारा बकाया राशि का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है।

उक्त बकाया राशि के भुगतान के संबंध में उच्च कार्यालय द्वारा समय–समय पर जानकारी मांगी जा रही है। तथा भुगतान न होने की दशा में बकाया राशि, आपके सुरक्षा निधि से समायोजित कर वसूल करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त निर्देश के परिपालन में आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बकाया राशि की वसूली आपके सुरक्षा निधि से समायोजित कर, की जा रही है।

कनिष्ठ अभियंता
छ.रा.वि.वित.कं.मर्या, सोमनी

प्रतिलिपि–
सहायक अभियंता (उपसंभाग) छ.ग.रा.वि.वि.कं.लि.सोमनी

कनिष्ठ अभियंता
छ.रा.वि.वित.कं.मर्या, सोमनी

Assistant Engineer (Sub Dn.
C.S.P.D. Co. Ltd
SOMNI

छ.ग.स्टेट पॉवर डिस्ट्री.कंपनी लिमि.,राजनांदगांव

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

कार्या0–सहायक अभियंता (उपसंभाग), सोमनी

पत्र क्र. सहा.अभि. / फोरम / 2399 सोमनी / राज. दिनांक 17 / 02 / 2026

प्रति,

श्रीमान अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम,
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– **सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42(5) विद्युत अधिनियम 2003 के संबंध में।**

संदर्भ :– **विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव का पत्र क्रमांक 13–01 / वि.उ.शि.नि.फो.राजनांदगांव / 24, दिनांक–04.02.2026**

***

अनावेदक द्वारा प्रतिउत्तर / जवाब–दावा

01 मेसर्स आर वर्ल्ड सप्लायर प्रो0 सागर जैन आ. श्री ललित जैन, उम्र 30 वर्ष निवासी– वार्ड नं. 19 वर्धमान नगर, राजनांदगांव तह0 व जिला राजनांदगांव (आवेदक) **विरूद्ध** (अनावेदक) क्रमांक 01 कार्यपालन अभियंता (संचा. / संधा.) संभाग, छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव व क्रमांक 02 सहायक अभियंता (उपसंभाग), छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि. सोमनी जानकारी के आधार पर आपके द्वारा प्रेषित शिकायत क्र 13–01 / वि.उ.शि.नि.फो.राजनांदगांव / 24, दिनांक–04.02.2026 का अनावेदक क्रं. 01 व 02 और दोनों का निम्नांकित आवश्यक दस्तावेज व जवाब दावा प्रस्तुत करता हूं।

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में बिंदुवार / कंडिकावार प्रतिउत्तर निम्नानुसार है:–

1. कंडिक क्रमांक 01 के अनुसार अप्रैल 2020 के दिनांक 07.05.2020 के विद्युत देयक बिल 19330.00 रूपये जारी किया गया था, मांह मार्च 2020 के देयक बिल में रिडिंग त्रुटि होने के कारण युनिट 1920 होने के कारण सुधार कर माह अप्रैल 2020 में देयक बिल 19330.00 को पुनरीक्षित कर पुनः 11400.00 रूपये का देयक जारी किया गया था जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा 28.05.2020 को किया गया था।

2. कंडिका क्रमांक 02 के अनुसार माह मई 2020 का विद्युत देयक बिल दिनांक 08.06.2020 को 42980.00 रूपये जारी किया गया था। चुंकि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन दिनांक 23.03.2018 को परिसर में विद्यमान किया था। किन्तु उपभोक्ता को प्रथम विद्युत देयक बिल माह सितम्बर 2018 को जारी किया गया, संज्ञान में आने पर उपभोक्ता को पूर्व के 06 माह का अतिरिक्त विद्युत देयक राशि 37000.00 रूपये व चालु माह मई 2020 का 440 युनिट का विद्युत देयक बिल 5990.00 कुल विद्युत देयक बिल 42980.00 रूपये किया गया था। जिसमें उपभोक्ता द्वारा वर्तमान माह मई 2020 का विद्युत देयक 5990.00 रूपये का भुगतान दिनांक 23.06.2020 को किया गया था व शेष राशि 37000.00 रूपये बकाया था।

3. कंडिका क्रमांक 03, 04 एवं 05 के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में लगे मेसर्स आर. वर्ल्ड सप्लायर प्रो. सागर जैन, ग्राम परमालकसा औद्योगिक कनेक्शन 50 हार्स

पॉवर का है जिसकी बी.पी. क्र. 1006710501 को उपभोक्ता के आवेदन के अनुसार लगे मीटर को बदल दिया गया था। और न ही उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से

औसत रिडिंग के आधार पर विद्युत देयक बिल जारी नहीं किया जा रहा था। मीटर में खपत रिडिंग के आधार पर ही विद्युत देयक जारी किया जा रहा था।

4. कंडिका क्रमांक 06 व 07 के अनुसार उपभोक्ता का बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में उक्त बकाया राशि का समायोजन सुरक्षानिधि राशि से करने के लिए कनष्ठि अभियंता कार्यालय पत्र क्रमांक 605 दिनांक 24.02.2025 को सूचना हेतु प्रेषित किया गया था। जिसके आधार पर उपभोक्ता के द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि राशि 1,05,000.00 में से पुर्व बकाया राशि का इस कार्यालय द्वारा 81240.00 रूपये दिनांक 12.03.2025 को समायोजन किया गया था। सुरक्षानिधि राशि का समायोजन के पश्चात माह मार्च 2025 का विद्युत देयक बिल में पुर्व बकाया राशि 0.00 रूपये व चालु माह मार्च 2025 का देयक बिल 5,730.00 रूपये जारी किया गया था। जिसके पाश्चात आज दिनांक तक भुगतान अप्राप्त है व अस्थाई तौर पर लाईन विच्छेदित किया जा चुका है और न्युनतम देयक बिल प्रत्येक माह जारी किया जा रहा है।

5. कंडिका क्रमांक 08 व 09 के अनुसार उपभोक्ता को प्रत्येक माह वास्तविक खपत के आधार पर ही विद्युत देयक जारी किया जा रहा था एवं उपभोक्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि 1,05,000.00 का कंपनी के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष (दिनांक 25.06.2020 से 02.05.2025 तक) निरंतर ब्याज की राशि देयक बिल में समायोजन किया जा रहा था।

6. कंडिका क्रमांक 10 के अनुसार उपभोक्ता के द्वारा लिखित शिकायत स्वीकार योग्य नहीं है।

7. कंडिका क्रमांक 11 के अनुसार सहमत है।

8. कंडिका क्रमांक 12 के अनुसार उपभोक्ता को वास्तविक बिल हर माह जारी किया गया था। संज्ञान में आने पर 06 माह का कंपनी के नियमानुसार वास्तविक बिल कुल 37000.00 रूपये जारी किया गया था।

9. कंडिका क्रमांक 13 व 14 का जवाब कंडिका क्रमांक 02 दिया जा चुका है।

संलग्न :— जवाब—दावा सहित कुल दस्तावेजों की प्रति 09....... पेज।

अनावेदक
सहायक अभियंता (उपसंभाग)
छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., सोमनी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / विउशिनिफोराज. / 2026 / 29 — राजनांदगांव दिनांक **25 MAR 2026**

प्रति,

01. मेसर्स आर वर्ल्ड सप्लायर,
प्रो. सागर जैन, आ. श्री ललित जैन, उम्र 30 वर्ष,
निवासी वार्ड नं. 19, वर्धमान नगर, राजनांदगांव
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

02. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– सुरक्षा निधि की राशि में से 75,504.75 रूपये अवैध समायोजन को सुरक्षा निधि में वापसी हेतु।

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

विषयः— सुरक्षानिधि की राशि में से 75,504.75 रूपये अवैध समायोजन को सुरक्षा निधि में वापसी हेतु।

मेसर्स आर वर्ल्ड सप्लायर, ...आवेदक

प्रो. सागर जैन, आ. श्री ललित जैन, उम्र 30 वर्ष,

निवासी वार्ड नं. 19, वर्धमान नगर, राजनांदगांव

तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगांव (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 25/03/2026 को घोषित)

1. आवेदक मेसर्स आर वर्ल्ड सप्लायर द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 21.01.2026 यह है कि —

(i) यह कि आवेदक ग्राम परमालकसा, विकासखंड राजनांदगांव में पशु आहार बनाने हेतु एक फैक्टरी आर.वर्ड सप्लायर्स के नाम से प्रारंभ करने हेतु विद्युत मण्डल से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया परिणामतः वह विद्युत विभाग का उपभोक्ता है व विद्युत देयकों का नियमित भुगतान करता रहा है । वाद प्रारंभ माह अप्रैल 2020 के विद्युत देयक जो दिनांक 07.05.2020 को प्रेषित बिल से हुआ जिसकी बिल राशि 19330/— रूपये जिसमें पिछला बिल (बकाया) 15110.82 रूपये जोड़कर भेजा गया तब आवेदक विद्युत कार्यालय सोमनी में सम्पर्क किया गया तो विभाग द्वारा रीडिंग एवं बिल सुधार कर 11400/— रूपये जमा करने कहा गया । जिस पर आवेदक द्वारा दिनांक 28.05.2020 को चेक के माध्यम से तत्काल राशि 11400/— रूपये जमा कर दिया गया ।

(ii) यह कि अगले माह का बिल दिनांक 08.06.2020 को प्रेषित किया गया उसकी राशि 42980/— रूपये उसमें पिछला बकाया 20812.82 अतिरिक्त 16187.52 का उल्लेख था जबकि मूल खपत के आधार पर बिल राशि 5990/— रूपये था जिसे आवेदक के द्वारा चेक से अदाकर दिया गया था वर्तमान तक आवेदक को पिछला बिल राशि 66351.20 रूपये अतिरिक्त 1975.29 भेजा गया किन्तु पिछला बकाया किस आधार पर दिया जा रहा है का कोई समाधान कारक जवाब

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
राजनांदगांव

अनावेदकगणों के द्वारा नहीं दिया गया जबकि आवेदक के द्वारा मूल खपत बिल जमा किया जाता रहा है ।

(iii) यह कि अनावेदक द्वारा भेजे गये विद्युत देयकों में पिछला बकाया राशि के संबंध में लिखित शिकायत दिनांक 08.08.2020 जो कि दिनांक 13.08.2020 को कनिष्ठ अभियंता छ.ग.वि.वि. कंपनी सोमनी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जो श्रीमान के समक्ष अवलोकन हेतु आवेदन के साथ सूची दस्तावेज में के साथ संलग्न है, किन्तु अनावेदकगणों के द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया गया ।

(iv) यह कि आवेदक द्वारा पुनः दिनांक 13.01.2021 को कनिष्ठ अभियंता छ.ग. राज्य वि.वि. कंपनी सोमनी को दिया । अनावेदकगण के द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत का कोई उत्तर नहीं दिया गया । आवेदक द्वारा दिनांक 13.01.2021 को ही दूसरी शिकायत आवेदन बिजली बिल ज्यादा आने के कारण मीटर जांचकर मीटर बदलने के संबंध में प्रस्तुत किया गया किन्तु अनावेदगण के द्वारा उक्त दोनों पत्र का कोई जवाब आवेदक को नहीं दिया गया । दिनांक 04. 06.2021 को भी पुनः मीटर चेक कर बदले जाने का आवेदन दिया गया लेकिन अनावेदकगण के द्वारा ना ही मीटर की जांच करायी गयी और ना ही मीटर बदला गया ।

(v) यह कि दिनांक 19.08.2021 को अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा मीटर बदला गया तथा नया मीटर लगाया गया लेकिन उक्त नये लगे मीटर के बाद भी पिछला बकाया राशि जोड़कर बिल दिया जाता रहा है । अनावेदकगण के द्वारा आवेदक को मीटर का 08 माह तक औसत बिल दिया जाता रहा है, जिसका भुगतान आवेदक के द्वारा नियमित किया जाता रहा है । आवेदक के द्वारा जब अनावेदकगण से लगातार पिछला बकाया सहित खपत बिल का भुगतान किये जाने के बाद एवं अनावेदकगण को अनेक लिखित आवेदन पिछला बकाया राशि किस आधार पर दिखाया जा रहा है । अनावेदकगणों के द्वारा कोई जानकारी नहीं देने पर आवेदक के द्वारा दिनांक 19.11.2024 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया किन्तु निर्धारित समयावधि पश्चात् भी जानकारी नहीं दी गयी ।

(vi) यह कि आवेदक के द्वारा दिनांक 24.12.2024 को फैक्टरी में उत्पादन का कार्य नहीं होने से उक्त कनेक्शन जिसका सर्विस क्रमांक 1006710501 को अस्थायी रूप से विच्छेद किये जाने का आवेदन दिया गया जिस पर अनावेदक के

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

द्वारा उसी दिनांक को आवेदक का कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया । कनिष्ठ अभियंता सोमनी द्वारा पत्र क्रमांक 605/24.02.2025 सुरक्षा निधि समायोजन बाबत् पत्र आवेदक को प्रेषित किया गया । उक्त पत्र में आवेदक को सुनवाई या जवाब का या पक्ष समर्थन का अवसर भी न देकर सीधे समायोजन किया जा रहा है जैसे शब्दावाली का प्रयोग किया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है फिर भी आवेदक अपना पक्ष रखते हुए एक रजिस्ट्रर्ड पत्र कनिष्ठ अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं मुख्य अभियंता कार्यालय राजनांदगांव में प्रेषित किया ।

(vii) यह कि विद्युत विच्छेद किये जाने के बाद भी आवेदक के द्वारा बिल दिनांक 13.01.2025 जिसमें पिछला बकाया राशि 67351.20 रूपये अतिरिक्त 1975.29 रूपये एवं कुल बिल 624351/– रूपये इस प्रकार कुल राशि आकस्मिता से आवेदक द्वारा मूल बिल 6244/– रूपये का भुगतान किया गया । दिनांक 24.03.2025 को आवेदक के द्वारा अनावेदकगणों को एवं मुख्य अभियंता को प्रेषित पत्र के संबंध में अनावेदकगणों के द्वारा न तो कोई जवाब दिया गया और न ही कोई कार्यवाही के संबंध में आवेदक को अवगत कराया गया फिर भी आवेदक द्वारा नियमित बिजली बिल का भुगतान किया जा रहा है तो अनावेदकगण के द्वारा पिछली बिल लगातार कैसे भेजा जा रहा है तथा उक्त संबंध में अनावेदकगण के द्वारा कोई उचित जवाब भी नहीं दिया गया ।

(viii) यह कि आवेदक द्वारा पिछला बकाया किस आधार पर जोड़ा जा रहा है के संबंध में लगातार पत्राचार किया जाता रहा व आवेदक के द्वारा मूल बिल राशियों को निरंतर जमा करने के बाद भी अनावेदकगण के द्वारा फिर से बिल के साथ पिछला बकाया राशि सहित खपत किये यूनिट का मनमाने तरीके से गणना कर बिल भेजा जाता रहा है । आवेदक द्वारा सुरक्षा निधि राशि 105000/– रूपये जिसमें प्रतिवर्ष ब्याज की राशि अनावेदकों के द्वारा दी जाती है लेकिन आवेदक को उक्त सुरक्षानिधि का लगभग 7 साल का ब्याज राशि भी नहीं दिया गया है और ना ही उक्त ब्याज की राशि को बिल में समायोजन किया गया है ।

(ix) यह कि अनावेदकगण के द्वारा आवेदक को परेशान करने सही जानकारी न देकर तथा मनमाना बिल प्रेषित कर किया जाता रहा है आवेदक के द्वारा समय–समय पर खपत बिल राशि जमा भी किया गया है लेकिन हर माह उपयोग किये गये विद्युत खपत के आधार पर बिल जमा करने बाद भी अनावेदक के द्वारा बिल में पिछला बकाया जोड़कर आवेदक को भेजा जाने लगा तो आवेदक द्वारा

जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग राजनांदगांव

व्यथित होकर मौखिक एवं लिखित शिकायत करने के बाद भी आवेदक को पिछला बिल किस आधार पर आ रहा है की जानकारी नहीं देने पर मानसिक रूप से परेशान होकर अपने उद्योग का विद्युत विच्छेद भी करा लिया । परिणामतः वह औद्योगिक कार्य से भी वंचित हो गया है ।

(x) यह कि आवेदक द्वारा वर्ष 2018 में मीटर लगाया गया, अनावेदकगण के द्वारा आवेदक के द्वारा लिखित शिकायत करने के बाद भी समय पर कार्यवाही नहीं करने से उसे लगभग पिछला बकाया बिल राशि व अतिरिक्त बिल राशि आवेदक को भेजा गया तथा 105000/– रूपये सुरक्षानिधि में से 75504.57/– रूपये को समायोजित कर दिया गया जो विभाग की उद्योग/विशेष कर कुटीर उद्योग के हित के विपरीत है ।

(xi) यह कि आवेदक अपने आवेदन के समर्थन में श्रीमान के समक्ष सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया है कालांतर में अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है ।

(xii) यह कि आवेदन श्रीमान के उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग राजनांदगांव में परिवाद प्रस्तुत किया गया था जहां अनावेदकगणों के द्वारा एक बिल डिटेल प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान मीटर रीडिंग व पूर्व मीटर रीडिंग में भिन्नता जो विद्युत विभाग (अनावेदकगणों) की त्रुटि का व विद्युत कनेक्शनधारी के साथ अन्याय कारक कृत्य हो उजागर करती है अधिकांश आंकडे विभागीय त्रुटि स्पष्ट प्रदर्शित कर रही है उसके बाद भी पिछला बकाया का स्पष्ट जानकारी न देकर राशि समायोजन करना आवेदक के हितों पर कुठाराधात है ।

(xiii) यह कि माह अप्रैल खपत बिल दिनांक 07.05.2020 के विद्युत देयक के बकाया राशि का समाधान करते हुए राशि 19330/– रूपये को 11400 दर पर जमा कराया जा चुका था तो फिर अगले माह के बिल में बकाया राशि दिखाना गंभीर विभागीय त्रुटि है उक्त विद्युत देयक में रीडिंग 652 अंकित था उसे सुधार कर 596 किया गया पूर्व बकाया 15110.82 रूपये कुल बिल राशि 19325/– रूपये विभागीय लेजर में अंकित है उक्त लेजर को सहायक अभियंता के हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणित कर श्रीमान उपभोक्ता आयोग राजनांदगांव के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उक्त बिल राशि के पूर्व समस्त विद्युत देयकों का आवेदक नियमित भुगतान करता रहा है ऐसी दशा में बकाया राशि का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता जो विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर से भी स्पष्ट है ।

(xiv) यह कि विभागीय त्रुटि व लचरता भी इस बात को प्रदर्शित करती है कि कनिष्ठ अभियंता सोमनी के पत्र दिनांक 24.02.2025 को राशि 75504.75 रूपये समायोजित किया जा चुका है विद्युत कनेक्शन विच्छेद होने के उपरांत भी दिनांक 14.10.2025 को जो विद्युत देयक आवेदक को प्रेषित किया गया है उसमें कुल बिल राशि 5735/– रूपये एवं पिछला बकाया पुनः 28415.57 रूपये अंकित कर कुल विद्युत देयक राशि 34150/– रूपये का प्रेषित किया गया उक्त देयक उपभोक्ता आयोग में सहायक अभियंता के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये गये विभागीय लेजर में रीडिंग की अनियमितता बिल राशि की अनियमितता भी स्पष्ट प्रदर्शित है जो विभागीय हेरा–फेरी त्रुटि का स्पष्ट प्रमाण है ।

अतएव न्याय, साम्य एवं सद्विवेक की पूर्ति हेतु निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर अनावेदकगणों द्वारा पिछला बकाया समायोजन के रूप काटी गई राशि 75504.75 रूपये का समायोजन निरस्त कर आवेदक के द्वारा विभाग में जमा सुरक्षा निधि राशि में वापस जमा करने व प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि भी आवेदक के सुरक्षानिधि में जमा कराने का आदेश पारित करने की कृपा हो ।

2. यह कि अनावेदक प्रतिनिधि सहायक अभियंता उपसंभाग, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., सोमनी, राजनांदगांव ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 2399 दिनांक 17.02.2026 को सूचित किया कि :–

(i) कंडिका क्रमांक 01 के अनुसार अप्रैल 2020 के दिनांक 07.05.2020 के विद्युत देयक बिल 19330.00 रूपये जारी किया गया था, माह मार्च 2020 के देयक बिल में रीडिंग त्रुटि होने के कारण यूनिट 1920 होने के कारण सुधार कर माह अप्रैल 2020 में देयक बिल 19330.00 को पुनरीक्षित कर पुनः 11400.00 रूपये का देयक जारी किया गया था जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा 28.05.2020 को किया गया था ।

(ii) कंडिका क्रमांक 02 के अनुसार माह मई 2020 का विद्युत देयक बिल दिनांक 08.06.2020 को 42980.00 रूपये जारी किया गया था । चूँकि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन दिनांक 23.03.2018 को परिसर में विद्यमान किया था । किन्तु उपभोक्ता को प्रथम विद्युत देयक बिल माह सितम्बर 2018 को जारी किया गया, संज्ञान में आने पर उपभोक्ता को पूर्व के 06 माह का अतिरिक्त विद्युत देयक राशि 37000.00 रूपये व चालू माह मई 2020 का 440 यूनिट का विद्युत देयक बिल 5990.00 कुल विद्युत देयक बिल 42980.00 रूपये किया गया था ।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

जिसमें उपभोक्ता द्वारा वर्तमान माह मई 2020 का विद्युत देयक 5990.00 रूपये का भुगतान दिनांक 23.06.2020 को किया गया था व शेष राशि 37000.00 रूपये बकाया था ।

(iii) कंडिका क्रमांक 03, 04 एवं 05 के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में लगे मेसर्स आर. वर्ल्ड सप्लायर, प्रो. सागर जैन, ग्राम परमालकसा औद्योगिक कनेक्शन 50 हार्स पॉवर का है जिसकी बी.पी.क्र. 1006710501 को उपभोक्ता के आवेदन के अनुसार लगे मीटर को बदल दिया गया था और न ही उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से औसत रीडिंग के आधार पर विद्युत देयक बिल जारी किया जा रहा था मीटर में खपत रीडिंग के आधार पर ही विद्युत देयक जारी किया जा रहा था ।

(iv) कंडिका क्रमांक 06 व 07 के अनुसार उपभोक्ता का बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में उक्त बकाया राशि का समायोजन सुरक्षानिधि राशि से करने के लिए कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पत्र क्रमांक 605 दिनांक 24.02.2025 को सूचना हेतु प्रेषित किया गया था । जिसके आधार पर उपभोक्ता के द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि राशि 105000.00 में से पूर्व बकाया राशि का इस कार्यालय द्वारा 81240.00 रूपये दिनांक 12.03.2025 को समायोजन किया गया था । सुरक्षानिधि राशि का समायोजन के पश्चात् माह मार्च 2025 का विद्युत देयक बिल में पूर्व बकाया राशि 0.00 रूपये व चालू माह मार्च 2025 का देयक बिल 5730.00 रूपये जारी किया गया था । जिसके पश्चात् आज दिनांक तक भुगतान अप्राप्त है व अस्थाई तौर पर लाईन विच्छेदित किया जा चुका है और न्यूनतम देयक बिल प्रत्येक माह जारी किया जा रहा है ।

(v) कंडिका क्रमांक 08 व 09 के अनुसार उपभोक्ता को प्रत्येक माह वास्तविक खपत के आधार पर ही विद्युत देयक जारी किया जा रहा था एवं उपभोक्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि राशि 105000.00 का कंपनी के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष (दिनांक 25.06.2020 से 02.05.2025 तक) निरंतर ब्याज की राशि देयक बिल में समायोजन किया जा रहा था ।

(vi) कंडिका क्रमांक 10 के अनुसार उपभोक्ता के द्वारा लिखित शिकायत स्वीकार योग्य नहीं है ।

(vii) कंडिका क्रमांक 11 के अनुसार सहमत है ।

(viii) कंडिका क्रमांक 12 के अनुसार उपभोक्ता को वास्तविक बिल हर माह जारी किया गया था । संज्ञान में आने पर 06 माह का कंपनी के नियमानुसार वास्तविक बिल कुल 37000.00 रूपये जारी किया गया था ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
राजनांदगांव

(ix) कंडिका क्रमांक 13 व 14 कर जवाब कंडिका क्रमांक 02 दिया जा चुका है ।

फोरम के समक्ष उत्तरदायी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज :—

यह कि उपरोक्त प्रकरण के अंतिम सुनवाई के पश्चात् आवेदक द्वारा अपने कनेक्शन की स्थायी विच्छेदन हेतु आवेदन कनिष्ठ यंत्री कार्यालय सोमनी वितरण केन्द्र में प्रस्तुत किया गया हैं। जिसकी जानकारी फोरम को सहायक यंत्री द्वारा वाट्सएप के द्वारा दिनांक 25.03.2026 को दी गई। आवेदन में वार्णित किया गया है। आर वर्ड सप्लायर्स (सागर जैन) सर्विस क्रमांक 1006710501 स्थाई रूप से काटने की कृपा करें।

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :— दिनांक .... .2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना—अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :—

3. यह कि ग्राम परमालकसा, राजनांदगांव स्थित आवेदक के परिसर में मेसर्स आर. वर्ड्स सप्लायर्स प्रो. सागर जैन के नाम पर औद्योगिक श्रेणी का, 50 अश्वशक्ति भार का विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1006710501 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदायित है । आवेदक के अनुसार उत्तरवादी द्वारा माह अप्रेल 2020 का देयक, पूर्व अवशेष मद में राशि रू. 15110.82 जोडते हुए कुल राशि रू. 19330.00 का प्रेषित किया गया । उत्तरवादी के कार्यालय से संपर्क करने पर देयक में सुधार करते हुए संशोधित राशि रू. 11400.00 का देयक प्रदान किया गया जिसका भुगतान उसके द्वारा तत्काल कर दिया गया । अगले माह के देयक में पुनः पूर्व अवशेष राशि रू. 20812.82 एवं अतिरिक्त राशि रू. 16187.52 जोडते हुए कुल राशि रू. 42980.00 का देयक प्रेषित किया गया जबकि इस माह के देयक में दर्ज खपत की वास्तविक देयक राशि रू. 5990.00 थी जिसका उसके द्वारा भुगतान कर दिया गया । इसके बाद से उत्तरवादी द्वारा प्रतिमाह का देयक पूर्व अवशेष राशि जोड़कर प्रेषित किया जाता रहा एवं आवेदक द्वारा प्रतिमाह, उस माह में की गयी खपत के वास्तविक देयक का भुगतान किया जाता रहा है । आवेदक द्वारा अपने देयक में जोड़ी जा रही पूर्व अवशेष राशि के संबंध में दिनांक 08.08.2020 को पत्र प्रेषित करते हुए उत्तरवादी से इस संबंध में जानकारी प्रदान किए जाने की मांग की गयी लेकिन उत्तरवादी द्वारा आवेदक के इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया । देयक में जोड़कर प्रेषित की जा रही पूर्व अवशेष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

राशि की जानकारी के संबंध में आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पर भी उत्तरवादी द्वारा स्पष्ट जानकारी प्रदान नहीं की गयी ।

अपने विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से विच्छेदित करने के, आवेदक के आवेदन दिनांक 24.12.2024 पर कार्यवाही करते हुए उत्तरवादी द्वारा उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया लेकिन पूर्व अवशेष राशि जोड़कर देयक प्रेषित किया जाता रहा । आवेदक के अनुसार उत्तरवादी द्वारा माह फरवरी 2025 में उसके विद्युत कनेक्शन की जमा सुरक्षा राशि में से रू. 75504.57 को उसकी सहमति के बगैर ही पूर्व बकाया राशि के साथ समायोजित कर दिया गया जो कि अनुचित एवं नियमों के विपरीत है । उसकी विद्युत लाईन विच्छेदित कर दिए जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा माह सितंबर 2025 का देयक पूर्व अवशेष राशि रू. 28415.57 के साथ कुल राशि रू. 34150.00 का प्रेषित किया गया है ।

4. यह कि प्रतिमाह उत्तरवादी द्वारा प्रेषित, माह की वास्तविक खपत की देयक राशि का भुगतान नियमानुसार प्रतिमाह किए जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा उसके देयक में पूर्व अवशेष राशि, इस संबंध में किसी तरह की जानकारी प्रदान किए बिना ही, जोड़कर प्रेषित किए जाने एवं बिना उसकी सहमति के उसकी जमा सुरक्षा राशि को पूर्व अवशेष राशि से समायोजित किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही से क्षुब्ध होकर, जमा सुरक्षा राशि के, पूर्व बकाया राशि के साथ किए गए समायोजन को निरस्त किया जाकर अपनी सुरक्षा निधि राशि पर ब्याज प्रदान किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा यह प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

5. यह कि अनावेदक द्वारा पत्र कमांक 2399 दिनांक 17.02.2026 के माध्यम से प्रस्तुत जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदक के माह मार्च 2020 के देयक में रीडिंग की त्रुटि के कारण देयक में सुधार करते हुए आवेदक को रू. 11400.00 का देयक प्रदान किया गया था जिसका आवेदक द्वारा भुगतान कर दिया गया था । उत्तरवादी के अनुसार आवेदक को कनेक्शन दिनांक 23.03.2018 को प्रदान किया गया था लेकिन इसका पहला बिल माह सितंबर 2018 में जारी किया गया था तद्नुसार पूर्व.के छः माह की विद्युत देयक राशि रू. 37000.00 को माह मई 2020 में की गयी खपत 440 यूनिट की देयक राशि रू. 5990.00 के साथ जोड़कर कुल राशि रू. 42980.00 का देयक प्रेषित किया गया था । आवेदक द्वारा माह मई की वास्तविक खपत की देयक राशि का ही भुगतान किए

राजनांदगांव

जाने के कारण उसकी बकाया राशि आगामी देयकों में भी बकाया राशि के रूप में दर्ज होती रही है । इस प्रकार आवेदक को प्रेषित किया जाता रहा देयक सही एवं आवेदक द्वारा भुगतान योग्य है । आवेदक द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण उसकी जमा सुरक्षा राशि से उसकी बकाया राशि का समायोजन दिनांक 12.03.2025 को कर दिया गया जो कि नियमानुसार है ।

6. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या किसी तरह की जानकारी दिए बगैर आवेदक के देयक में अतिरिक्त राशि जोड़े जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुसार है ।

ब. लंबी अवधि तक आवेदक द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर भी उत्तरवादी द्वारा उसके कनेक्शन को विच्छेदित/स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने की कार्यवाही का न किया जाना क्या सही है ।

स. क्या आवेदक के कनेक्शन के क्रियाशील रहने की स्थिति में उसके विरूद्ध जमा सुरक्षा राशि का पूर्व बकाया राशि में किया गया समायोजन नियमानुसार है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

7. यह कि फोरम के समक्ष सुनवाई दिनांक 24.02.2026 को उपस्थित आवेदक द्वारा कथन किया गया कि माह मई 2020 के पूर्व के सभी मासिक देयकों का नियमानुसार भुगतान किए जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा माह मई 2020 के देयक में पूर्व अवशेष राशि रू. 20812.82 एवं अतिरिक्त राशि रू. 16187.52 जोड़ते हुए कुल राशि रू. 42980.00 का देयक प्रेषित किया गया । जोड़ी गयी पूर्व अवशेष राशि एवं अतिरिक्त राशि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने उत्तरवादी को प्रेषित पत्र का उत्तरवादी द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया । उत्तरवादी द्वारा प्रेषित मासिक देयक राशि में से चालू माह की खपत की वास्तविक राशि का उसके द्वारा प्रतिमाह भुगतान उत्तरवादी की सहमति से किया जाता रहा है फिर भी प्रतिमाह उत्तरवादी द्वारा उसके देयक में पूर्व अवशेष राशि, इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्रदान किए बगैर ही, जोड़कर प्रेषित की जाती रही है । आवेदक द्वारा बताया गया कि उसके स्वयं के आवेदन के आधार पर उत्तरवादी द्वारा उसके विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से विच्छेदित करने के बाद भी देयक में पूर्व अवशेष की राशि जोड़कर भेजी जा रही है लेकिन यह

राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

नहीं बताया जा रहा है कि देयक में जोड़ी जा रही पूर्व बकाया राशि कब और किस प्रकार से बकाया हुई है ।

इस संबंध में फोरम के समक्ष उपस्थित उत्तरवादी द्वारा कथन किया गया कि आवेदक को उसके परिसर में विद्युत कनेक्शन दिनांक 23.03.2018 को प्रदान किए जाने के बाद छः माह तक त्रुटिवश उसका मासिक देयक प्रेषित नहीं किया जा सका । माह सितंबर 2018 में आवेदक को प्रथम देयक जारी किया गया । यह तथ्य संज्ञान में आने के बाद, देयक जारी न किए जाने की अवधि की एकमुश्त बिल राशि रू. 37000.00 को आवेदक के मई 2018 के देयक में जोड़ दिया गया । यद्यपि उत्तरवादी द्वारा इस संबंध में आवेदक को जानकारी प्रदान किया जाना बताया गया लेकिन किसी प्रकार की जानकारी आवेदक को प्रदान किए जाने के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

8. यह कि सप्लाई कोड 2011 की कंडिका 9.26 यथा "Separate (supplementary) bills shall be issued for audit recovery and recoveries other than the regular monthly bill except for demand of additional security deposit."

के अनुसार नियमित मासिक देयक के अतिरिक्त अन्य प्रकार की राशि की वसूली के लिए पूरक देयक उपभोक्ता को प्रेषित किया जाना है । चूंकि आवेदक के माह अप्रेल 2020 के देयक में जोडी गयी राशि पूर्व अवधि के नियमित मासिक देयकों से ही संबंधित है अतः इस राशि का अलग से देयक जारी न करते हुए आवेदक के मासिक देयक में जोड़कर प्रेषित किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही नियमानुसार है ।

9. यह कि आवेदक द्वारा माह मई 2018 के अपने देयक में उत्तरवादी द्वारा पूर्व अवशेष राशि एवं अतिरिक्त राशि जोड़े जाने के संबंध में तो उत्तरवादी को पत्र लिखते हुए जानकारी की मांग की गयी लेकिन यह विचारणीय है कि 50 अश्वशक्ति के औद्योगिक कनेक्शन के देयक का, कनेक्शन होने के छः माह की अवधि तक जारी न किए जाने की स्थिति में क्या आवेदक द्वारा उत्तरवादी से इस संबंध में कोई पत्राचार किया गया एवं देयक प्रेषित किए जाने की मांग की गयी । दस्तावेजों से आवेदक के 50 अश्व शक्ति के विद्युत कनेक्शन का, मीटर लगाकर दिनांक 23.03.2018 को संयोजित किया जाना स्पष्ट है । तत्समय तैयार किए गए मीटर स्थापना पत्रक में आवेदक के प्रतिनिधि के भी हस्ताक्षर हैं । उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत, कनेक्शन तिथि के बाद देयक जारी न किए जाने की

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

अवधि की देयक राशि के गणना पत्रक के अनुसार आवेदक द्वारा प्रतिमाह देय नियत प्रभार की राशि का देयक आवेदक को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया है जो कि नियमानुसार है । तत्समय लागू टैरिफ शेडयूल 2018–19 की कंडिका 1.1.5 की टीप (2) के अनुसार – "for tariff LV 5.1 and LV 5.2 Fixed charge is monthly minimum charge whether any energy is consumed during the month or not"

के अनुसार नियत प्रभार वह प्रभार है जो उपभोक्ता द्वारा उसे विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने के बाद विद्युत खपत न किए जाने पर भी प्रतिमाह देय है । इस आधार पर आवेदक के विद्युत कनेक्शन के कनेक्शन माह, मार्च 2018 से माह अगस्त 2018 तक की अवधि के नियत प्रभार का देयक आवेदक को प्रेषित किया जाना तत्समय लागू टैरिफ शेड्यूल के प्रावधानों के अनुसार है एवं आवेदक द्वारा भुगतान योग्य है । चूंकि माह मार्च 2018 में आवेदक का कनेक्शन मीटर लगाकर संयोजित किया गया था तो उक्त अवधि (माह मार्च से अगस्त 2018) के लिए आवेदक से नियम प्रभार के अतिरिक्त मीटर किराया राशि का भी प्राप्त किया जाना उचित होगा ।

10. यह कि आवेदक के माह मई 2018 कें देयक में उत्तरवादी द्वारा पूर्व अवशेष एवं अतिरिक्त राशि जोडे जाने के बाद आवेदक द्वारा अपने संपूर्ण देयक राशि के भुगतान के स्थान पर मात्र चालू माह की खपत की देयक राशि का ही भुगतान किया जाना दर्शित होता है । यदि उत्तरवादी द्वारा माह मई 2018 के देयक में जोडी गयी राशि रू. 37000.00 वास्तविक एवं आवेदक द्वारा भुगतान योग्य थी तो इतनी लंबी अवधि तक उत्तरवादी द्वारा आवेदक को अपने देयक के आंशिक भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाते रहना आश्चर्यजनक है । ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं उत्तरवादी द्वारा आवेदक के देयक में जोडी गयी राशि का विवादित होना स्वीकार कर, प्रतिमाह खपत की वास्तविक देयक राशि से उसे अलग रखते हुए आवेदक का आंशिक भुगतान स्वीकार किया जाता रहा । एक तरफ तो उत्तरवादी द्वारा माह मार्च 2018 से अगस्त 2018 की अवधि के बकाया देयक की वसूली के लिए आवेदक के नियमित मासिक देयक में पूरक देयक राशि को जोड़ दिया गया और दूसरी ओर प्रतिमाह स्वयं की जोडी हुई राशि को अलग रखते हुए आवेदक को चालू माह की देयक राशि के भुगतान का अवसर दिया जाता रहा । उत्तरवादी की यह कार्यवाही विसंगतिपूर्ण एवं स्वयं के विरोध में दर्शित होती है ।

11. यह कि सप्लाई कोड 2011 की कंडिका 10.20 यथा "It shall be the responsibility of the licensee to ensure that no default in payment is continued beyond a reasonable period subject to a maximum of three months without action for temporary disconnection. The authorized officials of the licensee will ensure that all the cases pertaining to default in payment are monitored regularily and timely action is initiated as per prescribed procedure for temporary disconnection and thereafter for permanent disconnection."

के अनुसार किसी विद्युत कनेक्शन की देयक राशि बिना लाईन विच्छेदन की कार्यवाही के अधिकतम तीन माह तक लंबित रह सकती है । इससे अधिक अवधि तक देयक का भुगतान लंबित होने पर उत्तरवादी द्वारा उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन को अस्थायी विच्छेदित एवं तत्पश्चात स्थायी रूप से विच्छेदित किया जाना है ।

सप्लाई कोड की कंडिका 10.22 यथा "After temporary disconnection in case the consumer does not come up to get supply reconnect, by making payments of outstanding due, the connection be permanently disconnected, after termination of agreement by following the procedure as stated in para 7.36/7.37 of this code which ever is applicable. " के अनुसार अस्थायी विच्छेदन के बाद भी उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में उसके कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित करने की कार्यवाही उत्तरवादी द्वारा किया जाना है ।

प्रस्तुत प्रकरण में आंवेदक द्वारा लंबी अवधि तक संपूर्ण देयक राशि का भुगतान न किए जाने एवं प्रतिमाह उसके देयक में पूर्व अवशेष राशि के दर्ज होने की स्थिति में भी बकाया राशि की वसूली के लिए आवेदक के कनेक्शन को विच्छेदित करने एवं तत्पश्चात स्थायी रूप से विच्छेदित करने के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही का न होना, उत्तरवादी द्वारा सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुसार कार्य का न किया जाना दर्शाता है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

12. यह कि उत्तरवादी द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.02.2025 के माध्यम से आवेदक को यह सूचित किया गया कि आवेदक द्वारा अपने कनेक्शन के विरूद्ध बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण उसके कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा निधि की राशि का समायोजन उसकी लंबित देयक राशि से किया जा रहा है । उत्तरवादी के जवाबदावा के अनुसार दिनांक 12.03.2025 को आवेदक की पूर्व बकाया राशि रू. 81240.00 का समायोजन उसकी जमा सुरक्षा राशि के साथ कर दिया गया ।

सप्लाई कोड की कंडिका 6.19 यथा "After disconnection of a regular connection or after period of temporary supply is over and supply has been disconnected, the licensee shall prepare the final bill adjusting the security deposite available and send it to the consumer within 30 days from the date of making connection **permanently disconnected**/date of disconnection of temporary supply as the case may be and return the balance amount if any within next 60 days." के अनुसार किसी विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित करने के बाद ही उपभोक्ता की जमा सुरक्षा राशि को उसकी लंबित देयक राशि से समायोजित करते हुए अंतिम देयक उपभोक्ता को प्रेषित किया जाना है । प्रस्तुत प्रकरण में उत्तरवादी द्वारा आवेदक के कनेक्शन के विरूद्ध लंबित बकाया राशि को सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुसार वसूल न करते हुए आवेदक के कियाशील विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा निधि राशि को उसकी लंबित देयक राशि के साथ समायोजित करते हुए सप्लाई कोड के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट होता है ।

13. यह कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में उत्तरवादी द्वारा उसकी जमा सुरक्षा राशि पर नियमानुसार ब्याज प्रदान नहीं किए जाने का उल्लेख करते हुए, जमा सुरक्षा राशि पर लंबित ब्याज प्रदान किए जाने की मांग की गयी है । इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदक की जमा सुरक्षा निधि पर प्रतिवर्ष नियमानुसार ब्याज की गणना की जाती रही है जिसका समायोजन आवेदक के नियमित देयकों में किया जाता रहा है । आवेदक के कनेक्शन के बिलिंग विवरण से वर्ष 22–23, 23–24 एवं 24–25 में कमशः रू. 6031.00, रू. 7088.00 एवं रू. 6774.00 ब्याज राशि का समायोजन किया जाना प्रमाणित होता है ।

14. यह कि अपने विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने, माह मार्च 2025 में अपनी बकाया देयक राशि को अपनी जमा सुरक्षा राशि के साथ समायोजित किए जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा माह सितंबर 2025 के देयक में पूर्व अवशेष राशि रू. 28415.57 जोडते हुए कुल राशि रू. 34150.00 का प्रेषित किए जाने पर आवेदक द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी है। इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा लेख किया गया है कि दिनांक 12.03.2025 को आवेदक की बकाया देयक राशि को उसकी जमा सुरक्षा राशि के साथ समायोजित किए जाने के बाद माह मार्च 2025 के देयक में आवेदक की पूर्व अवशेष राशि निरंक हो गयी थी लेकिन माह मार्च के बाद की अवधि में आवेदक द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण माह सितंबर के देयक में आवेदक के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध बढी हुई बकाया राशि दर्ज हुई है । आवेदक का कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित होने के बाद भी उसे प्रतिमाह नियत प्रभार राशि का न्यूनतम देयक नियमानुसार जारी किया जा रहा है ।

15. यह कि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों के विवेचन से उत्तरवादी द्वारा सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुसार आवेदक के देयक में पूर्व अवधि की नियमित मासिक देयक राशि का जोड़कर भेजा जाना प्रमाणित होता है जो कि आवेदक द्वारा भुगतान योग्य है ।

16. यह कि फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि आवेदक के विद्युत संयोजन की तिथि से अंतिम विच्छेदन तक की गई बिलिंग के संबंध में (To be billed/Already billed) प्रारूप में आवेदक को माहवार बिलिंग जानकारी उपलब्ध कराये। जिसमें की आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि/शेष राशि, आवेदक के देयक में जोडी गई अतिरिक्त पूरक राशि इत्यादि का समावेश हो एवं आवेदक की सुरक्षा निधि राशि कब एवं कितनी राशि का समायोजन बकाया देयक में की गई का संपूर्ण विवरण दर्शीत हो।

17. यह कि फोरम आवेदक द्वारा स्थाई विच्छेदन हेतु दी गई आवेदन पत्र के तारतम्य में उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि आवेदक के स्थाई विद्युत विच्छेदन के पश्चात लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए सप्लाई कोड की कंडिका 6.19 के अनुसार आवेदक की जमा सुरक्षा राशि में से बकाया देयक राशि को समायोजित किए जाने की कार्यवाही का किया जाना सुनिश्चित करे । यदि आवेदक की जमा सुरक्षा राशि अंतिम देयक से अधिक होती है इस स्थिति में आवेदक को सुरक्षा निधि राशि में से अंतिम देयक राशि का समायोजन उपरांत शेष राशि सप्लाई कोड में वर्णित प्रावधानों अनुसार वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
राजनांदगांव

18. आदेश पारित ।

19. प्रकरण निराकृत ।

20. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव